170

<u>न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा</u>

<u>संभाग रीवा (म0प्र0)</u>

R5012-II/16

COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 30/-

<u>निगरानी प्रकरण कमांक -------/2016</u>

मंगलेश्वर सिंह तनय स्व0 गुलाब सिंह चौहान उम्र 67 साल पेशा खेती निवासी ग्राम कोतरकला, पुराना स्टेट बैंक के पास सीधी तहसील गोपदबनास थाना कोतवाली सीधी जिला सीधी म0प्र0 ------------ आवेदक

बनाम,

... उम्र 72 साल निवासी ग्राम कोतरकला वार्ड ...

आदेश श्रीमान के आदेश दिनांक 17-2-16 के पालन में नाम जोड़ा गया

1- (अ) मिठ्ठू केवट उम्र 50 साल
(ब) कुसुम केवट उम्र 48 साल
(स) साधना केवट उम्र 46 साल
(द) अन्नू केवट उम्र 44 साल
(इ) सावित्री केवट उम्र 42 साल
(फ) भारती केवट उम्र 40 साल

सभी के पिता स्व. रघुवीर केवट सभी निवासी ग्राम कोतरकला तहसील गोपदबनास जिला - सीधी (म0प्र0)

श्री रामनरेश मिश्रा एड0 द्वारा आज दिनांक 11.1.16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण कमांक– 552 / अपील / 2013–14 में <u>पारित आदेश दिनांक 26.11.2015</u>

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959</u>

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :–

1– यहकि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही निगरानी के निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के प्रासंगिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निवेदित कर दिया जाना आवश्यक है जो इस तरह है कि :–

(ए) यहकि दिनांक 26.11.81 को पारित नामान्तरण आदेश के विरूद्ध दिनांक 11.10.13 को लगभग 32 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत है इस अपील के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 5012/दो/16 .... जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	मंगलेश्वर सिंह कार्यवाही तथा आदेश 26 वीर सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के प्र० क० 552/अपील/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 26.11.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे आवेदक अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा के तर्कों पर विचार किया गया। उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो मे अंकित हैं जिन्हे पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नही है इसके साथ ही ग्राह्यता के बिन्दु पर लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये जिन पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ मे प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.11.15 का परीक्षण किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय मे प्रचलित अपील प्रकरण मे ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित हुए होने की सम्भावना हो। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण मे मात्र धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण को गुणदोष पर निर्णय हेतु अंतिम तर्क के लिए नियत किया गया है जहां उभयपक्ष को अनु० अधि० के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अनु० अधि० द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश मे इस स्तर पर निकाले गये निष्कर्ष उचित है जो सहज न्याय के	

[कृ. प. उ.

R. 50/24/11/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मंगलेश्वर/नि० रघुवीर/नि०	लोरी
	सिद्धान्तों के अनुरूप है। उभयपक्ष अपना अपना पक्ष समर्थन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर करें। तथा सहा० अधि० को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने अधीन प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधार पर विधि संगत निर्णय पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि०हो।	
	(सदस्य)	

M

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.